(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2018/1315 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-01-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 420/2015-16/अपील ।

1-गणेश पिता हरिशंकर माली
2-जगदीश पिता हरिशंकर माली
3-देवचन्द पिता हरिशंकर माली
4-विनोद पिता सीताराम माली
5-गोविन्द पिता सीताराम माली
6-प्रेमनारायण पिता सीताराम माली
7-श्रीमती उमाबाई पति सीताराम माली
8-लाड़ोबाई पति स्व0हरिशंकर माली
9-रेखाबाई पिता हरिशंकर माली
10-नर्मदाबाई पिता हरिशंकर माली
निवासीगण 22 कबीर मार्ग धार

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-लीलाबाई पति मायाराम माली
निवासी ग्राम कांजीबाडा धार
2-श्रीमती बसन्तीबाई पति राजमल माली
निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने
कालिका माता रोड धार
3-श्रीमती गोदीबाई पति हरिकिशन माली
निवासी ग्राम कांजीबाडा धार
4-श्रीमती पारीबाई पति दयाराम माली
निवासी नटनागर धार

5-श्रीमती जमुनीबाई पति ओमप्रकाश माली
निवासी पानी की टंकी के नीचे ग्राम कांजीबाडा
जिला धार
6-श्रीमती लक्ष्मीबाई पति कन्हैयालाल माली
निवासी कांजीबाडा धार
7-श्रीमती लक्ष्मीबाई पति कृष्णा माली
निवासी कांजीबाडा धार

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक-आवेदकगण
श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक-अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मालीवाडा की भूमि सर्वे नम्बर 254 रकबा 0.949 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 259 रकबा 0.114 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 261 रकबा 0.493 हेक्टेयर हरिशंकर पिता गोपाल के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी । अनावेदकगण द्वारा हरिशंकर के फोत हो जाने से वारिसान के नाते प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 16-9-2000 को अपना नामान्तरण राजस्व अभिलेख में स्वीकृत कराया गया । तहसील न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16-8-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के नामान्तरण आदेश को निरस्त किया गया तथा मृतक हरिशंकर के वैध वारिसान आवेदकगण को मान्य किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-1-2018 को आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्ययालय का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रकरण में विवादित भूमि के भूमिस्वामी हरिशंकर पिता गोपाल थे । आवेदकगण क्रमांक 1 से 3 हरिशंकर के पुत्र हैं व आवेदक क्रमांक 4 से 7 हरिशंकर के मृत पुत्र सीताराम के उत्तराधिकारी है । आवेदक क्रमांक 8 हरिशंकर की पत्नी तथा आवेदक क्रमांक 9 व 10 हरिशंकर की पुत्रियॉ है ।

(2) प्रकरण में हरिशंकर की मृत्यु दिनांक 4-3-2014 को जाने के बाद आवेदकगण ने नामान्तरण के लिये प्रयास किया तब ज्ञात हुआ कि अनावेदकगण ने स्वयं को हरिशंकर की पुत्रियॉ तथा हरिकिशन की मृत्यु दिनांक 11-1-2000 को हो जाना बताते हुये नामान्तरण पंजी पर अपना नामान्तरण करा लिया है । अवैध नामान्तरण की जानकारी होने पर आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई ।

(3) हरिशंकर की मृत्यु के बाद अनावेदकों ने नामान्तरण पंजी पर अपना नामान्तरण कराया था इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में आवेदकगण ने अपना पक्ष समर्थन में समस्त आवश्यक कागजात प्रस्तुत किये थे जिनकी विवेचना करने के बाद तथा ग्राम पटवारी से जॉच प्रतिवेदन लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने नामान्तरण आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की थी ।

(4) अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के जिस प्रकरण का उल्लेख किया है उक्त व्यवहार वाद क्रमांक 1/2008 में अनावेदकगण ने स्वयं को हरिकिशन की पुत्रियॉ अभिकथित करते हुये प्रस्तुत किया था ।

(5) अनावेदकगण ने आवेदकगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 3134/2014 भी दर्ज करवाया था जिसमें अनावेदक क्रमांक 6 लक्ष्मीबाई पत्नी कन्हैयालाल पुत्री हरिशंकर का तथा अनावेदक क्रमांक 2 की पुत्री सुनीता बाई पत्नी शिवनारायण के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला धार के न्यायालय में शपथ पर लिये गये थे उन कथनों में अनावेदक क्रमांक 6 लक्ष्मीबाई ने

स्वयं को हरिकिशन की पुत्री होना तथा हरिशंकर को अपना काका होना बताते हुये कथन दिया था । इस न्यायालयीन कार्यवाही पर विश्वास न करने में अपर आयुक्त ने गंभीर भूल की है ।

(6) मूल नामान्तरण कार्यवाही में नामान्तरण नियमों का पालन नहीं किया गया था ऐसे नामान्तरण को यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा अपने विवेक और विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है । अत:अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि टाइटल का निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है और राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह अधिकारिता नहीं आती है अत: अपर आयुक्त द्वारा आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है ।

(2) अनावेदक द्वारा माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 धार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1/2008 प्रस्तुत किया गया था और उक्त आदेश के द्वारा अनावेदकगण को स्व0हरिशंकर की संपत्तियों का एकमात्र वारिस क्लास 1 उत्तराधिकारी होने के कारण माना था। उक्त आदेश को आवेदकगण द्वारा विविध व्यवहार अपील क्रमांक 7/2008 जिला न्यायालय धार के यहॉ चुनोती दी गई जो आदेश दिनांक 23-1-2009 के द्वारा उक्त अपील निरस्त कर दी गई। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और उक्त आदेश पक्षकारों के मध्य अंतिम हो गया ।

(3) सिविल न्यायालय से आदेश होने के 16 वर्ष बाद एस0डी0एम0 के यहॉ आवेदकगण द्वारा अपील दायर की गई जो कि अवधि बाहर थी । इस प्रकार उक्त सिविल न्यायालय का आदेश पक्षकारों पर बंधनकारी है और उसको चुनौती देने का कोई अधिकार आवेदकगण को प्राप्त नहीं है । अंत में उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने स्पष्ट रूप से ऐसे दस्तावेज पेश कियेहै जिनसे यह प्रमाणित होता है कि आवेदकपक्ष ही मूल भूमिस्वामी हरिशंकर के वैध वारिस है । वास्तव में हरिशंकर और हरिकिशन पृथक-पृथक व्यक्ति थे । आवेदकगण ने दोनों के अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किये हैं । व्यवहार न्यायालय में अनावेदकपक्ष ने स्वयं को हरिकिशन की पुत्रियॉ बताया है । पंजी पर नामान्तरण के समय इनमें से किसी भी तथ्य का

परीक्षण नहीं हुआ था । अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष उचित थे । व्यवहार न्यायालय के आदेश के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में हरिशंकर और शंकरलाल एक ही व्यक्ति थे न कि हरिकिशन तथा हरिशंकर । व्यवहार न्यायालय में विभिन्न गवाहों के कथनों का जो उल्लेखहै उससे यही पुष्टि होती है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने निष्कर्ष गलत तथ्यों पर आधारित होने से मान्य नहीं किये जा सकते । अतः अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-01-2018 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-01-2018 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर